उ0 प्र0 राज्य विद्युत उत्पादन निगम लि0
(उ0 प्र0 सरकार का उपक्रम)
शक्ति भवन/शक्ति भवन विस्तार
14, अशोक मार्ग, लखनऊ–226001

संख्या : 1528–मा0सं0–01/वि0उ0नि0लि0/2013–20–मा0सं0–01/2005 दिनांक : 04 अप्रैल, 2013

कार्यालय ज्ञाप

निगम के कार्यालय ज्ञाप सं0: 4952–मा0सं0–01/वि0उ0नि0लि0/2012–20–मा0सं0–01/2005 दिनांक 22–12–2012 द्वारा चयन वर्ष 2006–07 तथा 2008–09 में नियुक्त जानपद संवर्ग के सहायक अभियन्ताओं की पारस्परिक ज्येष्ठता सूची अनन्तिम (Tentative) रूप से घोषित करते हुए 15 दिन में आपत्तियाँ आमन्त्रित की गई थीं।

2– चयन वर्ष 2006–07 के सम्बन्ध में कोई आपत्ति प्राप्त नहीं हुई है। तथापि चयन वर्ष 2008–09 में नियुक्त/पदोन्नत सहायक अभियन्ताओं की अनन्तिम ज्येष्ठता सूची के सम्बन्ध में सर्वश्री सुरेश चन्द्र मिश्रा (अभि0सं0: 2009015), सुरेन्द्र सिंह (अभि0सं0: 2009003), छैल बिहारी वर्मा (अभि0सं0: 2009002), सी0बी0 सिंह (अभि0सं0: 2009004) तथा हुकुम चन्द जैन (अभि0सं0: 2009012), सहायक अभियन्ताओं से प्रत्यावेदन प्राप्त हुए हैं। इस प्रकार प्राप्त प्रत्यावेदनों का निस्तारण निम्नवत् किया जा रहा है :–

(क) श्री सुरेश चन्द्र मिश्रा का प्रत्यावेदन।

श्री सुरेश चन्द्र मिश्रा, सहायक अभियन्ता (जानपद) ने अपने प्रत्यावेदन में निम्नवत् अभिकथित किया है :–

(1) उ0प्र0रा0वि0उ0नि0लि0 विद्युत सुधार अधिनियम 1999 धारा 1 की उपधारा (3) के अधीन दिनॉक 14.01.2000 से उ0प्र0 शासन, ऊर्जा विभाग की अधिसूचना सं0 148–बी–1/2000 दिनॉक 14.01.2000 व 149–पी–1/2000–24 दिनांक 14.01.2000 से उ0प्र0 विद्युत सुधार लागू होने के पश्चात अधिकारियों व कर्मचारियों से सेवा शर्तें सम्बन्धी निस्तारण हेतु निर्गत कार्यालय ज्ञापन 4–विनियम–23/पी0सी0एल0/2000–1–रेगुलेशन–2000 दिनॉक 03–02–2000 निर्गत किया जा चुका है।

(2) उ0प्र0रा0वि0उ0नि0लि0 के द्वारा जारी कार्यालय ज्ञापन सं0 480–मा0सं0–01/वि0उ0नि0लि0/2002–29–मा0सं0–01/2001 दिनॉक 14.03.2002 के अनुक्रम में उ0प्र0 राज्य विद्युत अभियन्ता की सेवा (चौबीसवॉ संशोधन) विनियम 1998 कार्यालय ज्ञाप सं0 540 विनियम–23/राविप–98–5 विनियम/88 दिनॉक 26.12.1998 को तत्काल प्रभाव से लागू सुसंगत धाराओं उपधाराओं/नियमों अनुपालन किया जा रहा है। साथ ही उ0प्र0 राज्य विद्युत परिषद अभियन्ताओं की एकीकरण एवं ज्येष्ठता सेवा विनियमावली 1976 (यथासंशोधित) विनियम–5 व उ0प्र0 राज्य विद्युत परिषद ज्येष्ठता विनियमावली 1998 (यथाससंशोधित) उ0प्र0 राज्य विद्युत परिषद सहायक अभियन्ता (जानपद) अभियन्ता सेवा विनियमवली 1970 (यथासंशोधित) विनियम–19 का पालन सुनिश्चित किया जा रहा है;

(3) उ0प्र0रा0वि0उ0नि0लि0 के द्वारा जारी कार्यालय ज्ञापन 89/उ0नि0लि0/रिफार्म विनियम/08 सहायक अभियन्ता (जानपद) दिनॉक 01.10.2008 के द्वारा उ0प्र0रा0वि0उ0नि0लि0 के अन्तर्गत उ0प्र0 राज्य विद्युत परिषद सहायक अभियन्ता (जानपद) सेवा विनियमावली 1970 (यथासंशोधित) में वर्तमान में शैक्षिक अर्हता मानक के अनुसार अलीगढ़ मुस्लिम विश्वविद्यालय, अलीगढ़ का बी0ई0 (सिविल) दिनॉक 23.06.2008 को प्रथम श्रेणी में उत्तीर्ण कर चुका है।

(4) उ0प्र0 राज्य विद्युत परिषद अभियन्ता सेवा एकीकरण व वरिष्ठता विनियमावली 1976 के निहित प्रावधान यथा संशोधित व उ0प्र0 राज्य विद्युत परिषद सहायक अभियन्ता (जानपद) सेवा विनियमावली 1970 विनियम–5–भर्ती का स्रोत की धारा 1(क) सीधी भर्ती 50.33 प्रतिशत कोटा, 1(ख) विभागीय अनुभव प्राप्त अवर अभियन्ता प्रोन्नति 40 प्रतिशत कोटा, 1(ग) संगणक 1.33 प्रतिशत कोटा एवं 1(घ) 8.33 प्रतिशत कोटा

(बी0ई0/ए0एम0आई0 अर्हता प्राप्त) प्रथम जुलाई को अवर अभियन्ता पद पर 10 वर्ष की अर्हता सेवा व 1(घ) के विरूद्व उपरोक्त 1(ख) व 1(ग) के वर्णित कोटो के अनुपात में होना चाहिए के सन्दर्भ में निर्गत कार्यालय ज्ञापन 2–विनियम–23/पा0का0लि0/2002–5/विनियम/88 दिनॉक 02.01.2002 को उ0प्र0 राज्य विद्युत परिषद के विघटन व उ0प्र0 राज्य विद्युत उत्पादन निगम लि0 के मूलरूप में ग्रहण कार्यालय ज्ञापन सं0 480–मा0सं0–01/वि0उ0नि0लि0/2002–29–मा0सं0–01/2001 दिनॉक 14.03.2002 के द्वारा पालन सुनिश्चित किया गया है।

(5) उ0प्र0रा0वि0उ0नि0लि0 में आमेलित/संविलीयन अवर अभियन्ता (जानपद) को अस्थायी/स्थापन्न सहायक अभियन्ता (जानपद) के पद पर घोषित कम्बाइन्ड सीनियारिटी के आधार पर 40 प्रतिशत प्रोन्नति कोटा (सामान्य वर्ग) की धारा 1(ख) व 8.33 प्रतिशत प्रोन्नति कोटा (बी0ई0एम0आई0 अर्हता प्राप्त) (सामान्य वर्ग) के आधार पर बिना किसी प्रतिबन्ध के चयन वर्ष 2008–09 में (दिनॉक 01.07.2008 से 30.06.2009) का0ज्ञा0सं0 405–रेगुलेशन–23–एसईबी–98–5रेगु/98 दिनांक 09.10.1988 के अनुपालन में एवं का0ज्ञा0सं0 520–मा0सं0–01/विउनिलि/2008 दिनांक 16.02.2009 स्थानापन्न एवं अस्थायी सहायक अभियन्ता (जानपद) 40 प्रतिशत कोटा के अन्तर्गत 14 सहायक अभियन्ता (जानपद) व 01 सहायक अभियन्ता (जानपद) डिग्री धारक–8.33 प्रतिशत प्रोन्नति कोटा के अन्तर्गत बिना किसी पूर्व प्रतिबन्ध के प्रोन्नति/नियुक्ति प्रदान किया गया था। जिसके अन्तर्गत प्रार्थी के चयन वर्ष 2008–09 के आधार वर्ष को मानक में उपरोक्त सन्दर्भित/प्रचलित नियमों के अनुसार क्रमांक–2 पर प्रार्थी का नाम होना चाहिए था और क्रमांक–21 से नियमतः हटना चाहिए था जबकि भर्ती का स्रोत 1– सीधी भर्ती 50.33 प्रतिशत कोटा, 2– विभागीय प्रोन्नति/प्रोन्नति कोटा (40 प्रतिशत+8.33 प्रतिशत) कुल 50 प्रतिशत कोटा होता है।

(6) अनन्तिम पारस्परिक ज्येष्ठता सूची चयन वर्ष 2008–09 के अनुसार दिनांक 16.02.2009 को सीधी भर्ती से 50.33 प्रतिशत से आये सभी सहायक अभियन्ता (जानपद) परिवीक्षाधीन (ट्रेनिंग) पद पर कार्यरत थे। दिनांक 30.06.2009 को सहायक अभियन्ता (जानपद) सामान्य श्रेणी पर नियुक्ति (परिवीक्षा अवधि व्यतीत होने के पश्चात) प्रदान किये गये 06 सहायक अभियन्ता को हमसे ऊपर वरिष्ठता प्रदान की गयी है जबकि 50–50 को औसत अनुपात (विभागीय प्रोन्नत–सीधी भर्ती के अनुपात में होना चाहिए) उपरोक्त वरिष्ठता सूची में क्रमांक–01 पर 40 प्रतिशत कोटा और क्रमांक–02 पर 50.33 प्रतिशत कोटा पुनः क्रमांक–03 पर 40 प्रतिशत कोटा एवं क्रमांक–04 पर 50.33 प्रतिशत कोटा क्रमांक–05 पर 40 प्रतिशत कोटा एवं क्रमांक–06 पर 50.33 प्रतिशत कोटा, क्रमांक–07 पर 40 प्रतिशत कोटा, क्रमांक–8 पर 50.33 प्रतिशत कोटा, क्रमांक–9 पर 40 प्रतिशत कोटा, क्रमांक–10 पर 50.33 प्रतिशत कोटा, क्रमांक–11 पर 40 प्रतिशत कोटा, क्रमांक–12 पर 50.33 प्रतिशत कोटा, क्रमांक–13 पर 40 प्रतिशत कोटा, क्रमांक–14–20 पर 40 प्रतिशत कोटा, क्रमांक–21 पर 8.33 प्रतिशत कोटा निर्धारित किया गया है।

श्री सुरेश चन्द्र मिश्रा ने उपरोक्त तर्कों के आधार पर यह अनुरोध किया है कि उ0प्र0 राज्य विद्युत परिषद नियमावली/विनियमावली आदेश के अनुसार स्पष्टता सीधी भर्ती 50.33 प्रतिशत कोटा व प्रोन्नति कोटे के अन्तर्गत 49.66 प्रतिशत कोटा, संगणक का 1.33 प्रतिशत छोड़ते हुए औसत अनुपात में निर्धारित करते हुए चयन वर्ष 2008–09 में क्रमांक 21 से उनका नाम हटा कर क्रमांक–02 पर अंकित किया जाय।

(ख) <u>सर्वश्री सुरेन्द्र सिंह, छैल बिहारी वर्मा का प्रत्यावेदन।</u>

उपर्युक्त प्रत्यावेदनकर्ताओं ने अपने प्रत्यावेदनों में अभिकथित किया है कि कार्यालय ज्ञाप सं0–4952–मा0सं0–01/विउनिलि/2012–20–मा0सं0–01/2005 दिनांक 22–12–2012 के प्रस्तर–2 के क्रम सं0 2 पर स्थित इं0 राजेश कुमार (उ0नि0लि0/2009135) दिनॉक 03–09–2009 को उ0प्र0रा0वि0उ0नि0लि0 को छोड़कर उ0प्र0 लोक निर्माण विभाग में चले गये जिसकी सूचना महाप्रबन्धक (मा0सं0), शक्ति भवन, लखनऊ को मुख्य अभियन्ता, अनपरा के पत्र सं0 3049/मु0अभि0/ अताप/त्यागपत्र दिनॉक 14–04–2009 को भेजी जा चुकी है। अतः

उन्होंने श्री राजेश कुमार के नाम को वरिष्ठता सूची से विलुप्त करते हुए संशोधित वरिष्ठता सूची निर्गत करने का अनुरोध किया है। इसी प्रकार श्री छैल बिहारी वर्मा, सहायक अभियन्ता (जानपद) ने भी क्रमांक 2 व क्रमांक 10 पर उल्लिखित श्री राजेश कुमार (उ0नि0लि0/2009135) एवं श्री मिथलेश कुमार वर्मा (उ0नि0लि0/2009132), सहायक अभियन्ताओं ने निगम में त्याग पत्र प्रस्तुत कर उ0प्र0 लोक निर्माण विभाग में सेवारत हैं। अतः उनके सम्मुख "सेवा से फरार" लिखा जाना न्यायसंगत नहीं है।

(ग) <u>सर्वश्री सी0बी0 सिंह तथा हुकुम चन्द्र जैन का संयुक्त प्रत्यावेदन।</u>

उपर्युक्त प्रत्यावेदनकर्ताओं ने अपने प्रत्यावेदन में अभिकथित किया है कि कार्यालय ज्ञाप सं0–4952–मा0सं0–01/विउनिलि/2012–20–मा0सं0–01/2005 दिनांक 22–12–2012 में सीधी भर्ती वाले सहायक अभियन्ता (जानपद) को प्रोन्नत सहायक अभियन्ता (जानपद) से वरिष्ठता क्रम में ऊपर रखा गया है जबकि सीधी भर्ती के सहायक अभियन्ता (जानपद) जुलाई–अगस्त, 2008 में सहायक अभियन्ता (जानपद)(प्रशिक्षु) के पद पर नियुक्त किये गये थे तथा एक वर्ष की ट्रेनिंग के पश्चात रेग्यूलर सहायक अभि0 (जानपद) के पद पर जुलाई एवं अगस्त, 2009 में पदभार ग्रहण किया जिसके अनुसार उनकी वरिष्ठता सूची चयन वर्ष 2009–10 में होनी चाहिए थी। प्रोन्नत सहायक अभियन्ता (जानपद) फरवरी, 2009 में चयन किये गये थे। इस प्रकार प्रोन्नत सहायक अभियन्ता (जानपद) की वरिष्ठता सूची सीधी भर्ती वाले सहायक अभियन्ता (जानपद) से अलग एवं पहले बननी चाहिए। साथ ही साथ उन्होंने यह भी अवगत कराया है कि वरिष्ठता सूची के क्रमांक–2 पर दिखाये गये श्री राजेश कुमार (उ0नि0लि0/2009135) जो कि विभाग से फरार बताये गये है फिर भी वरिष्ठता सूची में बने हुए है। इसी प्रकार वरिष्ठता क्रमांक–10 पर अंकित श्री मिथलेश कुमार वर्मा (उ0नि0लि0/2009132) भी विभाग से रिजाइन कर गये है लेकिन फिर भी वरिष्ठता सूची में बने हुए हैं। अतः उन्होंने चयन वर्ष 2008–09 की नई वरिष्ठता सूची शुद्व करते हुए निर्गत किये जाने का अनुरोध किया है।

3– उपरोक्त प्रत्यावेदनों के सम्बन्ध में यह पाया गया है कि उ0प्र0 विद्युत सुधार अधिनियम, 1999 एवं उ0प्र0 विद्युत सुधार अन्तरण स्कीम, 2000 के अन्तर्गत दिनांक 14–01–2000 को उ0प्र0 राज्य विद्युत परिषद को तीन निगमों, यथा उ0प्र0 पावर कारपोरेशन लि0, उ0प्र0 राज्य विद्युत उत्पादन निगम लि0 तथा उ0प्र0 जल विद्युत निगम लि0 में विभाजित किया गया, जिसकी धारा 6(10) में निम्नवत व्यवस्था है :–

> "Subject to the provisions of the Act and this Scheme, the transferee shall frame regulations governing the conditions of service of personnel transferred to the transferee under this scheme **<u>and till such time, the existing service conditions of the Board shall mutatis mutandis apply</u>**."

उक्त के सम्बन्ध में निगम द्वारा भी एक आदेश सं0: सचिव/उनिलि/151 दिनांक 18–02–2000 निर्गत किया गया, जिसमें यह स्पष्टतया उल्लेख किया गया कि उ0प्र0 राज्य विद्युत उत्पादन निगम लि0 द्वारा अपने अधिकारियों/कर्मचारियों की सेवा–शर्तें सम्बन्धी मामलों के निस्तारण के सम्बन्ध में विनियम बनाये जाने तक पूर्ववर्ती परिषद में बनाये गये विनियम (अद्यतन संशोधित) एवं तत्सम्बन्धी जारी प्रशासनिक आदेश उ0प्र0 राज्य विद्युत उत्पादन निगम लि0 के अधिकारियों/कर्मचारियों के सेवा सम्बन्धी मामलों के निस्तारण हेतु यथावत् आवश्यक परिवर्तनों सहित उन पर लागू माने जायेंगे।

4– इस प्रकार जानपद संवर्ग के अभियन्ता अधिकारियों की नियुक्ति तथा ज्येष्ठता आदि के सम्बन्ध में उ0प्र0 राज्य विद्युत परिषद सहायक अभियन्ता (जानपद) सेवा विनियमावली, 1970 तथा उ0प्र0 राज्य विद्युत परिषद ज्येष्ठता विनियमावली, 1998 लागू है। उ0प्र0 राज्य विद्युत परिषद सहायक अभियन्ता (जानपद) सेवा विनियमावली, 1970 के अनुसार जानपद संवर्ग में सेवा संवर्ग का प्रारम्भिक पद सहायक अभियन्ता है। सहायक अभियन्ता पद पर नियुक्ति सीधी भर्ती तथा पदोन्नति दो स्रोतों से होती हैं। सीधी भर्ती तथा पदोन्नति से भरे जाने वाले पद अलग–अलग ईयर मार्क्ड हैं। उ0प्र0 राज्य विद्युत परिषद ज्येष्ठता विनियमावली, 1998 के विनियम–3 में यह प्राविधानित है कि इस विनियमावली का अध्यारोही प्रभाव होगा तथा यह विनियमावली इससे पूर्व बनायी गई किसी अन्य सेवा विनियमावली

में किसी बात के प्रतिकूल होते हुए भी प्रभावी होगी। इस प्रकार उ0प्र0 राज्य विद्युत परिषद सहायक अभियन्ता (जानपद) सेवा विनियमावली, 1970 तथा उ0प्र0 राज्य विद्युत परिषद अभियन्ताओं की एकीकरण एवं ज्येष्ठता सेवा विनियमावली, 1976 में अन्यथा उपबंधित होने की स्थिति में उ0प्र0 राज्य विद्युत परिषद ज्येष्ठता विनियमावली, 1998 के ही प्राविधान प्रभावी होंगे। उ0प्र0 राज्य विद्युत परिषद ज्येष्ठता विनियमावली, 1998 के अनुसार उस स्थिति में जब किसी सेवा संवर्ग में नियुक्तियां पदोन्नति और सीधी भर्ती दोनों स्रोतों से की जायँ तो ज्येष्ठता का निर्धारण विनियम–8 के प्राविधानों के अनुसार किया जायेगा। ज्ञातव्य हो कि उक्त ज्येष्ठता विनियमावली का विनियम–8 किसी एक चयन के फलस्वरूप, अर्थात् एक चयन वर्ष में सीधी भर्ती तथा प्रोन्नति से नियुक्त व्यक्तियों की पारस्परिक ज्येष्ठता निर्धारण को प्रतिपादित करता है। उक्त विनियमावली के विनियम 8(2)(ख) के अनुसार किसी एक चयन के परिणामस्वरूप पदोन्नति द्वारा नियुक्त व्यक्तियों की परस्पर ज्येष्ठता वही होगी जो इस स्थिति के अनुसार कि पदोन्नति एकल पोषक संवर्ग से या अनेक पोषक संवर्गों से होती है यथास्थिति, विनिमय–6 या विनिमय–7 में दिये गये सिद्धान्तों के अनुसार अवधारित की जायेगी। इसी प्रकार विनियम 8(3) के अनुसार जहां किसी एक चयन के परिणामस्वरूप नियुक्तियां पदोन्नति और सीधी भर्ती दोनों प्रकार से की जायं वहां पदोन्नत व्यक्तियों की, सीधे भर्ती से नियुक्त किये गये व्यक्तियों के सम्बन्ध में ज्येष्ठता, जहां तक हो सके दोनों स्रोतों के लिए विहित कोटा के अनुसार, चक्रानुक्रम में (प्रथम स्थान पदोन्नत व्यक्ति का होगा) अवधारित की जायेगी। चूँकि सहायक अभियन्ता (जानपद) पद पर सीधी भर्ती एवं पदोन्नति का कोटा क्रमशः 50.33 एवं 49.66 निर्धारित है, अतः पारस्परिक ज्येष्ठता सूची में पदोन्नति एवं सीधी भर्ती से नियुक्त अभ्यर्थियों के नाम 1:1 के चक्रानुक्रम (जिसमें पहला नाम पदोन्नत व्यक्ति का हो) में व्यवस्थित किया जाना आवश्यक है। ज्येष्ठता विनियमावली के इसी नियम का पालन करते हुए प्रश्नगत् अनन्तिम ज्येष्ठता सूची, दिनांक 22–12–2012 में नाम व्यवस्थित किये गये हैं। ज्ञातव्य हो कि सर्वश्री राजेश कुमार (2009135), राणा प्रताप मल्ल (2009137), निशीथ शर्मा (2009134), सच्चिदानन्द भास्कर (2009136), मिथलेश कुमार वर्मा (2009132) तथा महेन्द्र सिंह (2009133) आरम्भतया नियुक्ति पत्र सं0: 725–मा0सं0–01/विउनिलि/2008 दिनांक 28–03–2008 द्वारा सहायक अभियन्ता (प्रशिक्षु) पद पर नियुक्त किये गये थे। सहायक अभियन्ता (प्रशिक्षु) के रूप में निर्धारित प्रशिक्षण प्राप्त करने के उपरान्त अन्तिम संविलयन परीक्षा उत्तीर्ण करने पर इन्हें सहायक अभियन्ता (जानपद) के नियमित पद पर कार्यालय ज्ञाप सं0: 1929–मा0सं0–01/विउनिलि/2009 दिनांक 30–06–2009 द्वारा दिनांक 01–06–2009 से अर्थात् चयन वर्ष 2008–09 में ही नियुक्त किया गया। इस चयन वर्ष (2008–09) में पदोन्नति स्रोत से अवर अभियन्ताओं (जानपद) की सहायक अभियन्ता (जानपद) पद पर प्रोन्नति के आदेश कार्यालय ज्ञाप सं0: 520–मा0सं0–01/विउनिलि/2009 दिनांक 16–02–2009 द्वारा जारी हुए। इस आदेश द्वारा सहायक अभियन्ता पद पर पदोन्नत किये गये व्यक्तियों की पोषक संवर्ग अर्थात् अवर अभियन्ता पद की पारस्परिक ज्येष्ठता में श्री सुरेश चन्द्र मिश्रा का नाम सबसे नीचे था। अतः श्री सुरेश चन्द्र मिश्रा की यह माँग कि उनका नाम अनन्तिम ज्येष्ठता सूची के क्रमांक 21 से हटाकर क्रमांक 2 पर रख दिया जाय, बलहीन एवं अस्वीकार्य है। श्री सुरेश चन्द्र मिश्रा का प्रत्यावेदन तदनुसार अस्वीकृत किया जाता है।

5– जहाँ तक सर्वश्री सुरेन्द्र सिंह, छैल बिहारी वर्मा, चन्द्रभान सिंह तथा हुकुम चन्द जैन के प्रत्यावेदनों का सम्बन्ध है, जैसा कि ऊपर उल्लेख आ चुका है, उ0प्र0 राज्य विद्युत परिषद सेवकों की ज्येष्ठता विनियमावली, 1998 के विनियम 8(3) के अनुसार जहाँ किसी एक चयन वर्ष में नियुक्तियां पदोन्नति और सीधी भर्ती दोनों प्रकार से की जायँ, वहाँ पदोन्नत व्यक्तियों की, सीधे भर्ती से नियुक्त किये गये व्यक्तियों के सम्बन्ध में ज्येष्ठता, जहाँ तक हो सके, दोनों स्रोतों के लिए विहित कोटा के अनुसार, चक्रानुक्रम में (प्रथम स्थान पदोन्नत व्यक्ति का होगा) अवधारित की जायेगी। तदनुसार दिनांक 01–07–2008 से दिनांक 30–06–2009 की अवधि में सीधी भर्ती से नियुक्त सहायक अभियन्ता (जानपद) को पदोन्नत व्यक्तियों अर्थात प्रत्यावेदनकर्ता के नाम के साथ चक्रानुक्रम मे रखा जाना नियम अपेक्षित है। अतः दोनों स्रोतों से नियुक्त व्यक्तियों की मिश्रित सूची के बजाय अलग–अलग सूची निकाले जाने की माँग नियमानुकूल नहीं है। जहाँ तक अनन्तिम वरिष्ठता सूची में श्री राजेश कुमार (उ0नि0लि0/2009135) एवं श्री मिथलेश कुमार वर्मा (उ0नि0लि0/2009132), सहायक अभियन्ताओं के नाम सम्मिलित करने का प्रश्न है, यह

स्पष्ट करना है कि चूँकि वरिष्ठता सूची में दोनों स्रोतों से नियुक्त व्यक्तियों के नाम चक्रानुक्रम में 1:1 में रखना था, अतः यदि इन दोनों का नाम न सम्मिलित किया गया होता तो प्रथम दृष्टया यह पता न चल पाता कि सीधी भर्ती एवं पदोन्नत व्यक्तियों हेतु निर्धारित चक्रानुक्रम का सही–सही पालन हुआ है कि नहीं। अब अन्तिम रूप से जारी की जाने वाली पारस्परिक ज्येष्ठता सूची में उपरोक्त दोनों अभियन्ताओं के नाम सम्मिलित नही किये जायेंगे।

आलोक
आलोक कुमार
अध्यक्ष एवं प्रबन्ध निदेशक

संख्या : 1528(I)–मा0सं0–01/वि0उ0नि0लि0/2013 तद्दिनांक।

प्रतिलिपि निम्नलिखित को इस अनुरोध के साथ प्रेषित कि कृपया अपने अधीन तैनात सम्बन्धित सहायक अभियन्ताओं को उपरोक्तानुसार सूचित कर दें :–

1– मुख्य अभियन्ता, ओबरा/अनपरा/पनकी/पारीछा/हरदुआगंज ताप विद्युत परियोजनायें, उ0प्र0 राज्य विद्युत उत्पादन निगम लि0।

2– मुख्य अभियन्ता (स्तर–I)/(स्तर–II), पी0पी0एम0एम0/वाणिज्य/ईंधन/तापीय परिचालन/आर0एण्डएम0/जानपद/पर्यावरण एवं सुरक्षा/कारपोरेट स्ट्रेटजी, उ0प्र0 राज्य विद्युत उत्पादन निगम लि0, शक्ति भवन विस्तार, लखनऊ।

3– मुख्य परियोजना प्रबन्धक (प्रगति), उ0प्र0 राज्य विद्युत उत्पादन निगम लि0, गोमती नगर, लखनऊ को **निगम की वेब साइट पर अपलोड करने हेतु।**

4– कम्पनी सचिव, उ0प्र0 राज्य विद्युत उत्पादन निगम लि0, शक्ति भवन विस्तार, लखनऊ।

5– उप महाप्रबन्धक/अधीक्षण अभियन्ता, (मा0सं0–03), उ0प्र0 राज्य विद्युत उत्पादन निगम लि0, शक्ति भवन विस्तार, लखनऊ।

6– सम्बन्धित अधिकारी (श्री सुरेश चन्द्र मिश्रा (2009015), सहायक अभियन्ता, पारीछा तापीय परियोजना, श्री सुरेन्द्र सिंह (2009003), सहायक अभियन्ता, अनपरा परियोजना, श्री छैल बिहारी वर्मा (2009002), सहायक अभियन्ता, पनकी तापीय परियोजना, श्री सी0बी0 सिंह (2009004), सहायक अभियन्ता, हरदुआगंज तापीय परियोजना तथा श्री हुकुम चन्द जैन (2009012), सहायक अभियन्ता, हरदुआगंज तापीय परियोजना।

7– वैयक्तिक पत्रावली/कट फाइल।

आज्ञा से,
(प्रकाश चन्द्र अस्थाना) 4/4/13
अनु सचिव